पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

वर्ष 2022 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 671

==

विरेन्द्र कुमार दुबे, पिता स्व. भृगुनाथ दुबे, निवासी- गाँव- सासामुसा, थाना- कुचईकोट, जिला- गोपालगंज।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. ध्रुपदेव माली, पिता- अदालत मांझी, निवासी- सावनही पट्टी, तोला धूम नगर, थाना- फुलवारिया जिला-गोपालगंज।
2. कुमारी कविता, पति- ध्रुपदेव माली, निवासी- सवनाही पट्टी, तोला धूम नगर, थाना- फुलवारिया जिला-गोपालगंज।
3. सीमा देवी, पति- मुकुल कुमार तिवारी, निवासी- गाँव- कोटवा, थाना- गोपालगंज टाउन, जिला- गोपालगंज।
4. सरिता देवी, पति- मुकुल कुमार तिवारी, निवासी- गाँव- कोटवा, थाना- गोपालगंज टाउन, जिला- गोपालगंज।
5. मुकुल कुमार तिवारी, पिता- स्व. भरत तिवारी, निवासी- गाँव- कोटवा, थाना- गोपालगंज टाउन, जिला- गोपालगंज।
6. डॉ. सुभाष चंद्र, पिता- बाबू बच्चा प्रसाद रॉय, निवासी- गाँव- छठ्ठू बथुआ, थाना एवं पी. एस.- उचकागाँव जिला- गोपालगंज।
7. श्रीमती वीणा रॉय, पति- डॉ. सुभाष चंद्र, निवासी- गाँव- छठ्ठू बथुआ, थाना एवं पी. एस.- उचकागाँव जिला- गोपालगंज।

.... प्रत्यर्थी/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिएः श्री चंद्रकांत, अधिवक्ता
श्री विकाश कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता
श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता
श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

सुश्री कुमारी श्रेया, अधिवक्ता

==

सिविल प्रक्रिया संहिता---आदेश 1, नियम 10----आवश्यक पक्ष और उचित पक्ष का अभियोगीकरण----आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए याचिका जिसके द्वारा और जिसके तहत हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता का अभियोगीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया था---- हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अभियोगीकरण की मांग की कि वादी/प्रतिवादी प्रथम सेट ने प्रतिवादी प्रथम सेट/प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे की संपत्ति के संबंध में मुकदमा शुरू किया है जो कि हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता की संपत्ति है।

निष्कर्ष: इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि आवश्यक पक्ष कौन है, परीक्षण निम्न हैं (i) कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के विरुद्ध कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए और (ii) ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है---दूसरी ओर, एक उचित पक्ष वह है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मामले का प्रभावी और पूर्ण रूप से निपटान करने में सक्षम बना सकती है--- वादी ने हस्तक्षेपकर्ता के विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी है और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की राहत के लिए किसी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं---इसके अलावा, न्यायालय मुकदमे के पक्षकारों के दावे के आधार पर प्रभावी डिक्री पारित कर सकता है और ऐसी डिक्री पारित करने के लिए हस्तक्षेपकर्ता के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं है--- हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता ने मुकदमे की भूमि पर अपना स्वतंत्र स्वामित्व स्थापित किया है और वादी तथा प्रतिवादी दोनों के स्वामित्व को अस्वीकार कर दिया है---यदि वादी के मुकदमे पर डिक्री हो भी जाती है, तो यह हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता के हित के लिए हानिकारक नहीं होगा क्योंकि डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं होगी--- हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता अपने दावे को पुष्ट करने के लिए स्वतंत्र मुकदमा दायर करके अपना रास्ता तय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे वर्तमान मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह केवल एक व्यस्त व्यक्ति है जो मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ---आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है ---याचिका खारिज की जाती है। ***(पैरा 12, 13)***

(2010) 7 एससीसी 417

..........**पर भरोसा किया गया।**

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

तारीखः 08-04-2025

याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायाधीश- XVI, गोपालगंज द्वारा स्वत्व वाद संख्या 889 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 16.08.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए तत्काल सिविल विविध याचिका दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए 'संहिता') के आदेश 1 नियम 10 और धारा 151 के तहत दिनांक 22.03.2022 को दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, वर्तमान मामले को उजागर करने वाले तथ्य यह हैं कि वादी/प्रत्यर्थी प्रथम सेट ने विद्वान अवर न्यायाधीश- XVI, गोपालगंज की अदालत के समक्ष स्वत्व वाद संख्या 889 वर्ष 2017 दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि विवादित भूमि वादी की खरीदी गई भूमि है और तब तक उनके शांतिपूर्ण कब्जे में आ रही थी जब तक कि उन्हें प्रतिवादी प्रथम सेट/प्रत्यर्थी द्वितीय सेट, जो कि अतिक्रमणकारी हैं, द्वारा बेदखल कर दिया गया था। वादी ने आगे विवादित भूमि पर दखल कब्जा दिलवाने की मांग की है तथा यह मांग की है कि प्रतिवादियों द्वारा अपने विक्रय विलेख में विवादित भूमि को शामिल किए जाने को अवैध और शून्य घोषित किया जाए। वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित भूमि पर कोई भी बदलाव करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की। हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता को स्वत्व वाद संख्या 889 वर्ष 2017 के लंबित होने के बारे में दिनांक 08.03.2022 को पता चलने पर उनके द्वारा मामले की जांच की गई, शिकायत की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ आदेश पत्र के लिए आवेदन दिया गया और इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के बाद, संहिता की आदेश 1 नियम 10 और धारा 151 के तहत

उसे पक्षकार प्रतिवादी के रूप में इस आधार पर जोड़ने के लिए अभियोग दायर किया कि याचिकाकर्ता एक आवश्यक और उचित पक्ष है जिसका विवादित भूमि पर वास्तविक अधिकार, स्वामित्व और हित है। याचिकाकर्ता ने अपना मामला आगे बढ़ाते हुए कहा कि खाता संख्या 130, खेसरा संख्या 1232, 1233 और 1234, क्षेत्र 7 कट्ठा 10 धुर की भूमि, जो मौज़ा- सरेया, वार्ड संख्या 4, थाना संख्या 83 पी. एस. और जिला गोपालगंज में स्थित है, जो कि दल साह की खतियानी भूमि थी। दिनांक 01.12.1941 को, दल साह ने अपनी बेटी ज्योतिय और एक बिकर्मा साह के पक्ष में एक पंजीकृत दानपत्र निष्पादित किया और वे विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में आ गए। उक्त भूमि में से, ज्योतिय ने याचिकाकर्ता के दादा कमल दुबे को 2 कट्ठा 10 धुर भूमि हस्तांतरित की और कमल दुबे का उक्त भूमि पर कब्जा हुआ। कमल दुबे अपने पीछे अपने बेटे भृगुनाथ दुबे को छोड़ कर स्वर्गवास कर गए, जो अपने पीछे अपने दो बेटों, याचिकाकर्ता विरेंद्र दुबे और सह-मालिक रवींद्र दुबे को छोड़ स्वर्गवास कर गए। याचिकाकर्ता और उसके भाई ने 2 कट्ठा 10 धुर भूमि पर संयुक्त कब्जा प्राप्त किया। याचिकाकर्ता ने भूमि के चारों ओर 4 फुट ऊँची चारदीवारी खड़ी की। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि 1948 के विक्रय विलेख के आधार पर, याचिकाकर्ता विवादित भूमि के स्वामित्व और कब्जे में आ रहा है और इसलिए, वह एक आवश्यक पक्ष है। तथापि, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने 11.04.2022 को जवाब दाखिल करके याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया और विद्वान निचली अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका को आदेश दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से खारिज कर दिया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश कानून के साथ-साथ तथ्यों की दृष्टि से पोषनीय नहीं है। यह एक विवेकाधीन और अवैध आदेश है। विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है। विद्वत विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता एक आवश्यक और उचित पक्षकार है जिसका वाद भूमि पर वास्तविक

अधिकार, स्वामित्व और हित है। विद्वत विचारण न्यायालय ने यह ध्यान में नहीं रखा कि संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत प्रावधान का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को अभिलेख पर लाना है जो विवाद के लिए आवश्यक पक्ष हैं ताकि विवाद को अंततः उनकी उपस्थिति में निर्धारित किया जा सके और कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता के दादा ने दिनांक 30.08.1949 के पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर 2 कट्ठा 10 धुर भूमि खरीदी थी और वही भूमि स्वत्व वाद संख्या 889 वर्ष 2017 की वाद संपत्ति है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वादी ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया है और विद्वान निचली अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा और केवल इस आधार पर अभियोग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया कि हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उल्लिखित भूमि की सीमा वादियों के वाद में उल्लिखित भूमि की चौहद्दी से अलग है। विद्वत विचारण न्यायालय ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.12.1941 के पंजीकृत उपहार विलेख के दस्तावेज़ को अभिलेख में दाखिल नहीं किया और केवल दिनांक 30.08.1948 के पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अपना दावा किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण अदालत ने इस बिंदु पर ध्यान देने में चूक की कि जब उसने निर्धारित किया कि वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ कब्ज़ा दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया है और वर्तमान मुकदमे में हस्तक्षेप करने वाले का कोई हित प्रतीत नहीं होता है।

4. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक निर्णय ***सिंहेश्वर राय बनाम बाबूलाल राय और एक अन्य***, जो कि ***ए. आई. आर. 1980 पटना 187*** में प्रेषित है, का उल्लेख किया, जिस में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमे में शामिल मुद्दों को मुकदमे के पक्षों के बीच शामिल मुद्दों के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विरोधी पक्ष 2 का मुकदमे की संपत्तियों में सीधा हित था, विद्वान मुन्सिफ का निर्णय

खराब या गलत नहीं था कि विरोधी पक्ष सं. 2 प्रतिवादी के रूप में वाद में शामिल सभी मुद्दों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए आवश्यक था। विद्वान अधिवक्ता ने ***ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 886*** में प्रेषित ***रज़िया बेगम बनाम साहेबज़ादी अनवर बेगम*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्भर किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने फिर ***2024 (1) पी. एल. जे. आर. 493*** में प्रेषित ***शांति सिंह एवं अन्य बनाम श्री जुगेश्वर नाथ श्रीवास्तव एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया जिस में यह पाने पर कि याचिकाकर्ताओं का विवादग्रस्त संपत्ति में पर्याप्त हित है, ***(2005) 6 एस. सी. सी. 733*** में प्रेषित ***कस्तुरी बनाम अय्यम्पेरुमल, तथा (2010) 7 एससीसी 471*** में प्रेषित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड मामलों पर निर्भर करते हुए उन्हें सह-अपीलकर्ता के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसके लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूट की जमीन मूल रूप से दल साह की थी, जिनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे दो बेटियों, ज्योतिय देवी और बुधिया देवी को छोड़ गए। बुधिया देवी का एक बेटा बिक्रम साह था, जिसकी पत्नी पार्वती देवी थी और उनके 4 बेटे थे, नंद लाल साह, मोहन साह, छोटे लाल साह और बृज लाल साह। खाता सं. 130, प्लॉट सं. 1232, 1233 और 1234 से संबंधित वाद संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 7 कट्ठा 11 धुर है और 01.12.1941 को मूल मालिक, दल साह ने अपनी बेटियों ज्योतिय देवी और बुधनी देवी को पूरी जमीन उपहार में दी। 21.06.1983 को ज्योतिय देवी और मृतक बुधिया देवी के सभी वारिसों ने प्रतिवादी

संख्या 4 व 5 के पक्ष में 2 कट्ठा 10 धुर जमीन बेच दी जिन्होंने अपना-अपना कब्जा ले लिया, राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराया, अपनी चारदीवारी का निर्माण किया और एक लोहे का द्वार लगाया और इन बिक्री विलेखों की चौहद्दी में हस्तक्षेपकर्ता या हस्तक्षेपकर्ता के दादा के नाम का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, 01.12.1993 को ज्योति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मीना देवी को 2 कट्ठा 13 धुर जमीन उपहार में दी, जो इसके शांतिपूर्ण कब्जे में आई। इसके बाद, 10.06.1994 और 14.08.1997 को बुधिया देवी के कानूनी प्रतिनिधियों ने शेष भूमि, यानी 2 कट्ठा 7.5 धुर बीना श्रीवास्तव को बेच दी और बीना श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद, उनके कानूनी प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी बेटी और बेटे ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 03.03.2016 (दो विक्रय विलेख) और 14.03.2016 (एक विक्रय विलेख) को जमीन बेच दी। 08.04.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने अपनी खरीदी हुई भूमि को वादीयों/प्रत्यर्थी प्रथम पक्ष को बेच दी और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दिया। तदनुसार, वादीयों ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराया और अपना शांतिपूर्ण कब्जा किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वाद भूमि से जाने वाले रास्ते के अधिकार के संबंध में वादी और प्रतिवादी प्रथम पक्ष के बीच कुछ हाथापाई हुई और प्रतिवादी संख्या 3 ने फौजदारी मामला संख्या 4300 वर्ष 2016 दायर किया जिसमें हस्तक्षेपकर्ता एक गवाह था और उस का 18.07.2016 का परीक्षण हुआ था और वह वादी के कब्जे, अधिकार और हित के बारे में पूरी तरह से अवगत था। प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने वादी के खिलाफ ईज़मेंटरी अधिकार और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए स्वत्व वाद संख्या 562 वर्ष 2017 भी दायर किया जिसमें हस्तक्षेपकर्ता का नाम नहीं है, हालांकि हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी प्रथम पक्ष की शिकायत में गवाह के रूप में पेश हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि हस्तक्षेपकर्ता का दावा ज्योतिय देवी द्वारा हस्तक्षेपकर्ता के दादा के पक्ष में किए गए विक्रय विलेख दिनांक 30.08.1948 पर आधारित है, लेकिन हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता के दादा का नाम किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है और न ही वह विचाराधीन भूमि पर कब्जे में आया है। अतः यह स्पष्ट है कि

कथित विक्रय विलेख एक जाली दस्तावेज है और केवल मामले के निपटारे में देरी करने के लिए प्रतिवादियों के कहने पर बनाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्लेंट और हस्तक्षेप याचिका में उल्लिखित चौहद्दी अलग है और इसके अलावा, हस्तक्षेप याचिका जाली दस्तावेज पर आधारित है और इस कारण से, विद्वान निचली अदालत ने पूरी तरह से वैध आदेश पारित किया है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है। वादी/प्रत्यर्थी प्रथम पक्ष के मुकदमे के लंबित होने के बारे में जानने के बावजूद, प्रतिवादी प्रथम पक्ष मामले में पेश नहीं हुए और जाली दस्तावेज बनाने के बाद हस्तक्षेपकर्ता को स्थापित किया और हस्तक्षेप याचिका को विद्वान निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बीच, वादी की ओर से 4 गवाहों का परीक्षण किया गया है और दिनांक 28.04.2023 के आदेश के अनुसार, वादी के साक्ष्य को बंद कर दिया गया, फिर प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने 03.08.2018 को पारित एकतरफा आदेश को वापस लेने के लिए 29.04.2023/09.05.2023 को एक आवेदन दायर किया। हस्तक्षेप याचिका मामले में देरी करने के लिए दायर की गई है, हालांकि हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता को स्वत्व वाद संख्या 889 वर्ष 2017 के लंबित होने के बारे में हमेशा से पता रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता न तो एक आवश्यक पक्ष है और न ही एक उचित पक्ष है। याचिकाकर्ता द्वारा पूरक हलफनामे के माध्यम से दायर किया गया कथित विक्रय विलेख हस्तक्षेप याचिका दायर करने से पहले कहीं भी सामने नहीं आया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहा है और यदि वह व्यथित है, तो उसके पास कार्रवाई का अपना वाद कारण है और वह एक स्वतंत्र वाद दायर करके विवाद कर सकता है। वादी/प्रत्यर्थी प्रथम पक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी है और मुकदमे में शामिल प्रश्न का फैसला याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाए बिना किया जा सकता है और इस कारण से याचिकाकर्ता न तो आवश्यक पक्ष है और न ही उचित पक्षकार है और मुकदमे को प्रभावी ढंग से और पूरी

तरह से तय करने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने मूल विक्रय विलेख दायर नहीं किया और इस अदालत के समक्ष भी उन्होंने केवल फोटो प्रति दायर की है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने ***(2005) 6 एस. सी. सी. 733*** में प्रेषित ***कस्तूरी बनाम इयमपेरुमल*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया कि कौन आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष है और यह अभिनिर्धारित किया कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि कौन आवश्यक पक्ष है, परीक्षण यह हैं कि (i) कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए और (ii) ऐसे पक्ष के अभाव में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता एक उचित पक्ष नहीं है जिसकी उपस्थिति अदालत को मामले के साथ आगे बढ़ने और इसे प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने में सक्षम बना सकती है, हालांकि ऐसा व्यक्ति एक आवश्यक पक्ष न हो। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के एक अन्य निर्णय ***सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 8460 वर्ष 2014 (उमा शंकर प्रसाद और अन्य बनाम कलेक्टर और अन्य के माध्यम से बिहार राज्य)*** का भी उल्लेख किया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वादी ने वाद संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद दायर किया और यह भी उल्लेख किया कि वाद भूमि पर वादी द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए प्रतिवादियों द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद ही वाद के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ। हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों के स्वत्व से इनकार करते हुए स्वयं के स्वतंत्र स्वत्व का दावा करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि वादी द्वारा मांगी गई राहत याचिकाकर्ता के स्वतव भूमि पर उन के अधिकार और हित, यदि कोई हो, के लिए हानिकारक नहीं है क्योंकि वाद में पारित की जाने वाली डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि वाद में

पक्षकार के रूप में शामिल होने का इच्छुक व्यक्ति, वह व्यक्ति होना चाहिए जो वाद के परिणाम से बाध्य होगा और जिस परिणाम से वाद संपत्ति पर उसके कानूनी अधिकारों का हनन होगा और उसे कानूनी रूप से प्रभावित करेगा और इस प्रकार हस्तक्षेपकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने वाले विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो फैसलों पर निर्भर किया जिसमें इस न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जो आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं पाए गए थे। उनकी उपस्थिति न्यायालय को सभी मामलों पर पूरी तरह से, प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष आवश्यक नहीं पाई गई। ***सिविल विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1933 वर्ष 2017, सुंदरपति देवी बनाम मु. किशोरा देवी और अन्य*** के मामले, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभाजन के लिए वाद का दायरा किसी तीसरे पक्ष के लिए स्थिति की घोषणा को शामिल करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी तरह, ***सिविल विविध क्षेत्राधिकार मामला संख्या 605 वर्ष 2016, ब्रज भूषण देव बनाम शंभू देवी और अन्य*** के मामले में, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने वालों की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और इसकी पुष्टि की जा सकती है।

9. मैंने पक्षों के निवेदन पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. संहिता का आदेश 1 नियम 10 (2) इस प्रकार हैः

> *"**10 (2). न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा-** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों*

पक्षकारों में से किसी के आवेदन अर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।"

11. संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के उद्देश्य और दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा तय किया गया है। ***(2010) 7 एस.सी.सी. 417 में प्रेषित मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट (प्र) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (प्र) लिमिटेड*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षकारों को पक्षकार बनाने से संबंधित कानून पर चर्चा की है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13, 14, 15, 22, 25 और 27 को उद्धृत करना उचित होगाः.

*"**13.** पक्षकारों को पक्षकार बनाने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि वाद में, वादी वाद का स्वामी होने के नाते उन व्यक्तियों को चुन सकता है जिनके खिलाफ वह वाद करना चाहता है और उस व्यक्ति पर वाद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह कोई राहत नहीं मांगता है। नतीजतन, एक व्यक्ति जो एक पक्ष नहीं है, उसे वादी की इच्छाओं के खिलाफ पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह सामान्य नियम सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों के अधीन है, जो उचित या आवश्यक पक्षों के पक्षकार बनने का प्रावधान करता है। उक्त उप-नियम नीचे दिया गया हैः*

10 (2). न्यायालय पक्ष्कारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा- न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के

आवेदन अर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।"

14. *उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि कोई न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी चरण में (विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमों सहित), किसी भी आवेदन पर या उसके बिना भी, और ऐसी शर्तों पर जो उसे उचित लगें, निर्देश दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता हैः (क) कोई भी व्यक्ति जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया; या (ख) कोई भी व्यक्ति जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति अदालत को वाद में शामिल प्रश्नों का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटारा करने में और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। संक्षेप में, अदालत को एक पक्ष के रूप में किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का विवेकाधिकार दिया गया है, जो एक आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष पाया जाता है।*

15. एक *"आवश्यक पक्ष" एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। यदि किसी "आवश्यक पक्ष" को शामिल नहीं किया जाता है, तो मुकदमा ही खारिज होने योग्य है। एक "उचित पक्षकार" एक ऐसा पक्षकार होता है जो, हालांकि एक आवश्यक पक्षकार नहीं है, पर एक ऐसा व्यक्ति है*

जिसकी उपस्थिति अदालत को वाद में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह से, प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, हालांकि उसे उस व्यक्ति के पक्ष में या उसके खिलाफ होने की आवश्यकता नहीं है जिसके खिलाफ डिक्री दी जानी है। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो अदालत के पास वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि वादी के खिलाफ मुकदमे का फैसला होने के बाद किसी व्यक्ति को मुकदमे की संपत्ति में अधिकार/हित प्राप्त होने की संभावना है, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट अनुतोष के लिए वाद में एक आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष नहीं होगा।

***22.** अब हम आदेश 1 नियम 10 (2) सी. पी. सी. की सीमा और दायरे पर विचार करते हैं जो पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के संबंध में है। उक्त उप-नियम किसी गैर-पक्ष के पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि किसी कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के लिए न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार के बारे में है। उप-नियम के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग या तो स्वतः या वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर या किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है जो वाद में पक्षकार नहीं है। अदालत किसी भी ऐसे पक्ष को बर्खास्त कर सकती है जो अनुचित तरीके से शामिल हुआ है। अदालत किसी को भी वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकती है यदि उसे लगता है कि वह एक आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष है। इस तरह का विलोपन या जोड़ कोई शर्त के बिना हो सकता है या ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो अदालत अधिरोपित करना उचित समझती हो। संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, अदालत निश्चित रूप से तर्क और निष्पक्षता के अनुसार कार्य करेगी, न कि मनमर्ज़ी और स्वेच्छा के अनुसार।*

> ***25.*** *दूसरे शब्दों में, न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक उचित पक्ष होने का दावा करने वाले व्यक्ति के आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है और किसी भी व्यक्ति को इस बात का आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि वह एक उचित पक्ष है।*
>
> ***27.*** *इस मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी न तो एक आवश्यक पक्ष है और न ही एक उचित पक्ष है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता न तो खरीदार है और न ही वाद संपत्ति का पट्टेदार है और उसका इसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है। प्रथम प्रत्यर्थी-वादी ने अपीलार्थी के खिलाफ वाद में कोई दावा नहीं किया है। वाद में विशिष्ट अनुतोष की एक प्रभावी डिक्री पारित करने के लिए अपीलार्थी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। न ही एएआई के खिलाफ पहले प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर विशिष्ट अनुतोष के लिए मुकदमे में जारी मामलों के पूर्ण और प्रभावी निर्णय के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। एक व्यक्ति जो वाद खारिज होने की स्थिति में विशिष्ट अनुतोष के लिए एक वाद में प्रतिवादी से लीज़ प्राप्त करने की उम्मीद करता है, उसे वाद संपत्ति में कुछ स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।"*

12. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कस्तुरी बनाम इयमपेरुमल*** (ऊपर) के मामले में निर्धारित किया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि कौन एक आवश्यक पक्ष है, निम्न परीक्षण हैं (i) कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ किसी दावे का अधिकार होना चाहिए और (ii) ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर, एक उचित पक्ष वह है जिसकी उपस्थिति अदालत को मामले का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने में सक्षम बनाए।

13. अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता इस आधार पर अभियोग की मांग करता है कि वादी/प्रत्यर्थी प्रथम पक्ष ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष/प्रत्यर्थी के खिलाफ वाद संपत्ति के संबंध में वाद दायर किया है जो हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता की संपत्ति है। अब, विद्वत विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता को पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी कि वादी/प्रत्यर्थी प्रथम पक्ष की संपत्ति की चौहद्दी अलग है। इसके अलावा, इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि वाद भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 7 कट्ठा 2 धुर है जबकि वादी और प्रतिवादी दोनों 2 कट्ठा 10 धुर भूमि पर दावा कर रहे हैं। अतः वाद संपत्ति की इस पहचान पर संदेह है कि वादी की संपत्ति और हस्तक्षेपकर्ता की संपत्ति एक है। इसके अलावा, विद्वत विचारण अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि हस्तक्षेपकर्ता ने 01.12.1941 दिनांकित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिस से हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता का दावा संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा, वादी ने हस्तक्षेपकर्ता के खिलाफ कोई दावा नहीं किया है और विवाद के संबंध में उसके खिलाफ किसी प्रकार की राहत के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, अदालत मुकदमे के पक्षों के दावे के आधार पर प्रभावी डिक्री पारित कर सकती है और इस तरह की डिक्री पारित करने के लिए हस्तक्षेपकर्ता के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट है कि हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता वाद संपत्ति पर अपना स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हैं और वादी व प्रतिवादी दोनों के अधिकार से इनकार करते हैं। यहां तक कि अगर वादी का वाद डिक्री किया जाता है, तो भी यह हस्तक्षेपकर्ता के अधिकार, स्वत्व और हित को शायद ही प्रभावित करेगा और दूसरे शब्दों में, यह हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता के हित के लिए हानिकारक नहीं होगा क्योंकि डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं होगी। वाद का परिणाम हस्तक्षेपकर्ता को कानूनी रूप से प्रभावित नहीं करेगा और उसके कानूनी अधिकारों में कटौती नहीं करेगा। हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता अभियोग की मांग करके अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह अपने दावे पर ज़ोर देने के लिए एक स्वतंत्र वाद दायर करके अपना रास्ता बनाने के लिए स्वतंत्र है।

लेकिन संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों के तहत, हस्तक्षेपकर्ता-याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह केवल अड़चनकर्ता है जो मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है।

14. चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत कोई भी निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से काफी भिन्न हैं।

15. तथ्यों, परिस्थितियों और की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुझे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का पालन करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती है और इसलिए, 16.08.2022 दिनांकित आदेश की पुष्टि की जाती है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरूण कुमार झा, न्यायाधीश)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।